



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359] नई दिल्ली, सोमवार, मई 28, 2018/ज्येष्ठ 7, 1940
No. 359] NEW DELHI, MONDAY, MAY 28, 2018/JYAISTHA 7, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2018

सं. 11/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 504(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 676(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :—

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, उप-शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	माल का आपूर्तिकर्ता	माल का प्राप्तकर्ता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	कोई भी अध्याय	प्रायर्टी सेक्टर लेंडिंग सर्टीफिकेट	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति

[फा. सं. 354/124/2018-टीआरयू]

प्रमोद कुमार, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 676(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 14 नवम्बर, 2017, जिसे सा.का.नि 1389(अ.) दिनांक 14 नवम्बर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2018

No. 11/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 504(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 676 (E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, after S. No. 6 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: —

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Any Chapter	Priority Sector Lending Certificate	Any registered person	Any registered person

[F. No. 354/124/2018-TRU]

PRAMOD KUMAR, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 43/2017-Central Tax (Rate) dated 14th November, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1389 (E), dated the 14th November, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2018

सं. 11/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 505(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 713(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :—